राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1995/2011/कोटा

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स वैंकटेश कोन्स प्रा. लि. भवानीमन्डी, कोटा .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा .....अपीलार्थी की ओर से.
उप–राजकीय अभिभाषक।

अनुपस्थित (एकपक्षीय बहस सुनी गई) .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 07.03.2017

निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा गया है) के द्वारा अपील सं. 08/वैट/ 2010–11/झालावाड में पारित आदेश दिनांक 16.06.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के तहत् प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा। द्वारा दिनांक 22.04.2010 को वाहन संख्या MP 09 HF 8213 को रोक कर चैंक किया गया। वाहन में क्रॉफ्ट पेपर (Craft Paper) परिवहनित किया जा रहा था। परिवहनित माल के संबध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा बिल, विल्टी एवं वेट–47 प्रस्तुत किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन दस्तावेजों की जांच करने पर पाया कि प्रपत्र वेट–47 का भाग B व C के कॉलम रिक्त थे। परिवहनित माल अधिसूचित वस्तु होने के कारण माल के साथ वेट–47 सम्पूर्ण भरा होना आवश्यक था। परन्तु वेट–47 अपूर्ण भरा होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स गुलजग इण्ड0 के न्यायिक प्रकरण के आलोक में, अपूर्ण घोषणा पत्र से माल परिवहनित किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् रूपये 95,915/– की शास्ति आरोपित की गई। इस शास्ति आदेश के विरूद्व प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने क्रॉफ्ट पेपर (Craft Paper) को पैकिंग मेटीरियल मानते हुए, अधिसूचित माल की श्रेणी में नहीं आना माना तथा परिवहनित माल के साथ वेट–47 की वैधानिक आवश्यकता न होना मानते हुए प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार की गई तथा आरोपित शास्ति अपास्त की गई। अपीलीय अधिकारी के इस आदेश दिनांक 16.06.2011 से व्यथित होकर राजस्व द्वारा उक्त द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2.

07/03/17

3. प्रत्यर्थी के बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुंए अपीलार्थी विभाग के उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का खण्डन करते हुए कथन किया कि परिवहनित माल क्रॉफ्ट पेपर (Craft Paper) अधिसूचित वस्तु है तथा इसके साथ वेट–47 प्रपत्र का पूर्ण भरा होना आवश्यक है। परिवहनित माल के साथ अपूर्ण वेट–47 अपूर्ण पाया गया, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स गुलजग इण्ड0 के निर्णय के आलोक में, शास्ति आरोपणीय है। अपीलीय अधिकारी द्वारा परिवहनित माल को पैंकिग मेटिरियल मानते हुए अधिसूचित वस्तु न होना अवधारित कर, वैट 47 की वैधानिक आवश्यकता न होना मानते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया, जो अविधिक होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपने इस कथन के साथ विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा विभागीय अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

4. एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वक्त जांच वाहन में क्रॉफ्ट पेपर (Craft Paper) परिवहनित किया जा रहा था तथा वाहन चालक के पास परिवहनित माल से संबंध बिल व बिल्ट मौजूद थे जिसमें माल से संबंधित सम्पूर्ण सूचना व विवरण अंकित थे तथा उक्त माल के अतिरिक्त अन्य माल पाया भी नहीं गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन बिल व बिल्ट को मिथ्या प्रमाणित नहीं किया है अर्थात् परिवहनित माल के साथ जो दस्तावेज पाये गये वो सभी दस्तावेज माल के अनुरूप पूर्ण व सही थे। यद्यपि परिवहनित माल के साथ वैट–47 सम्पूर्ण भरा हुआ नहीं था। किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि परिवहनित माल अधिसूचित वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिये उक्त माल के साथ वेट–47 वैधानिक रूप से आवश्यक नहीं है। अपीलीय अधिकारी द्वारा परिवहनित माल को अधिसूचित वस्तु की श्रेणी में नहीं मानकर परिवहनित माल के साथ वेट–47 की वैधानिक आवश्यकता न मानते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् अरोपित शास्ति को अपास्त करने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी के पारित आदेश दिनांक 16.06.2011 में हस्तक्षेप करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अतः राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

6. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 16.06.2011 की पुष्टि की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(राजीव चौधरी)
सदस्य ओके